आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वाद संख्या 206/13–14

स्वारथ पासवान एवं अन्य वनाम् बालेश्वर पासवान

आदेश

15.06.14

आवेदकगण स्वारथ पासवान वो महेन्द्र पासवान, पिता विजन दुसाध एवं गौरी पासवान पिता एकबाल पासवान सकिन ग्राम रामपुर वैना, थाना परासी, जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर नापी कराकर बराबर–बराबर हिस्सा का निर्धारण एवं कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम रामपुर वैना, थाना परासी ,अंचल वो जिला अरवल में अवस्थित है निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
201	201/2788	3 बीधा	उ०– राधेश्याम सिंह, द०– रास्ता पू०–देवमुन सिंह प०–रामजतन सिंह

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षी की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) उभय पक्ष का वंशावली निम्न है:–

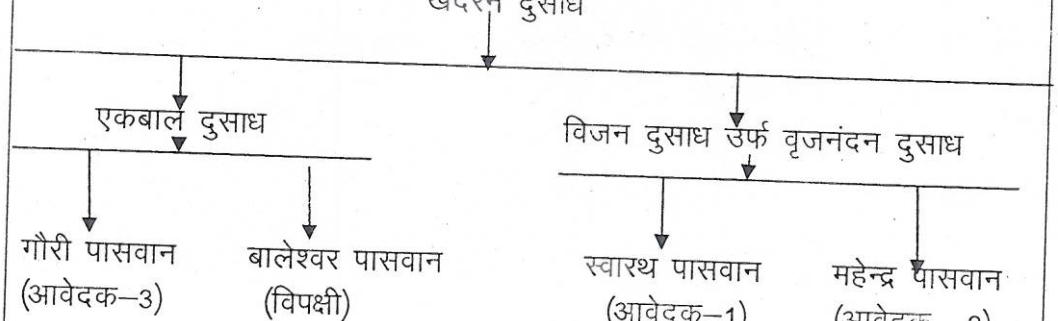

(2) एकबाल दुसाध संयुक्त परिवार के मुख्य कर्ता थे। हकीयत वाद संख्या 280/60/100/59 एवं डिकी इन ओरिजिनल सुट 9/59/56/56 एस 111 में पारित आदेश के आधार पर लगभग 11 एकड़ जमीन एकबाल दुसाध को प्राप्त हुआ था।

(3) प्रश्नगत् भूमि में बालेश्वर पासवान आवेदकगण को हिस्सा नही देना चाहते है जबकि प्रत्येक आवेदक को 15 कट्ठा $4\frac{1}{2}$ धूर भूमि हिस्सा बनता है।

(4) वर्णित भूमि खाता 201 प्लॉट नं० 201/2788 कुल रकवा 73 बीधा में से 11 बीधा हासिल हुआ था परन्तु विवाद सिर्फ 3 बीधा भूमि पर है।

अतः विवादित भूमि का सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त से नापी कराकर हिस्सा के अनुसार भूमि को अलग करा दिया जाय।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) सन् 1954–1955 से पहले एकबाल दुसाध और विजन दुसाध बॅटकर अपने–अपने हिस्से पर काबिज है और 3 एकड़ भूमि का रसीद विजन दुसाध उर्फ वृजनंदन राम के नाम से कट रहा है। एकबाल दुसाध विपक्षी के पिता थे जिनके नाम से भूमि प्राप्त है।

(2) विवादित भूमि खाता 201 खेसरा 201/2788 का एराजी 3 बीधा गलत है,कुल रकवा 22 एकड़ 49 डी० था जिसपर हकीयत वाद चला था जिसमें 34 सदस्यों को 22 एकड़ 49 डी० प्रत्येक सदस्य को प्राप्त हुई थी। उक्त हकीयत वाद में इकबाल दुसाध पिता खदेरण दुसाध का नाम क्रमांक 15 में है।

(3) उक्त भूमि वितरण के बाद 121 सदस्यों ने विरोध किया तो छः सौ बिगहा 121 सदस्यों में वितरण भी किया गया जिसमें विजन दुसाध उर्फ वृजनंदन राम को 3 एकड़ भूमि प्राप्त हुई जिसका राजस्व रसीद भी कट रहा है।

(4) प्रथम पक्ष ने पूर्व में मनु देवी से धारा 144 द० प्र० सं० का वाद लाया था,जो प्लॉट नं० 455 था जिससे विपक्षी को कोई वास्ता सारोकार नही था।

(5) प्रथम पक्ष के पास विवादित भूमि का एक भी सिगल चीट ऑफ पेपर नही है। ऐसी परिस्थिति में वाद की कारवाई समाप्त करना नितान्त आवश्यक है।

(6) विपक्षी के पिता इकबाल दुसाध तथा प्रथम पक्ष के स्वारथ पासवान एवं महेन्द्र पासवान के पिता विजन दुसाध उर्फ वृजनंदन राम के बीच बॅटवारा 1954–1955 में ही मौखिक हो चुकी थी।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने हकीयत वाद संख्या 28/60/100/59 एवं डिक्री इन ओरिजनल सूट 9/59/56/56 एस 111 में पारित आदेश के आलोक में विवादित भूमि पर दावा किया है। हकीयत वाद संख्या 9/1959,बह्मदेव सिंह एवं अन्य वनाम् सुखदेव सिंह एवं अन्य को सबजज,गया के द्वारा खारिज किया जा चुका है। पुनः टाइटिल अपील संख्या 28/60/100/59 को भी अतिरिक्त जिला जज के द्वारा खारिज किया जा चुका है। उच्च न्यायालय पटना ने भी सिविल अपील वाद खारिज कर दिया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में स्पष्ट है कि विवादित जमीन के निश्वत् न्यायालय का कोई आदेश पारित नही है। विवादित भूमि विपक्षी को कैसे प्राप्त हुई है,इसको स्पष्ट करने में आवेदक सफल नही हुए है। वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।